संख्या 14020/1/90-स्थापना [छुट्टी]
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
[कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग]

नई दिल्ली, दिनांक : 13-4-94

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अधिवर्षिता पर अर्द्ध वेतन छुट्टी का नकदीकरण - विदाचन बोर्ड के निर्णय पर विचार तथा उसका क्रियान्वयन ।

मुझे इस विभाग के दिनांक 6.4.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-14020/1/90-स्थापना [छुट्टी] के संदर्भ में यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 1 में यथा विनिर्दिष्ट सरकारी कर्मचारी के खाते में जमा समस्त अर्द्ध वेतन छुट्टियों का नकदीकरण बिना किसी सीमा के किया जाना होगा तथा इस प्रकार उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2[iii] में उल्लिखित अर्द्ध वेतन छुट्टी के घटक की एवज़ में नकद भुगतान की गणना का फार्मूला तद्नुसार लागू किया जाना होगा । अत: जहां तक दिनांक 6.4.93 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार अधिवर्षिता पर अर्द्ध वेतन छुट्टी के नकदीकरण का संबंध है, इस फार्मूले में - "नियमों के अंतर्गत निर्धारित सीमा की शर्तों के अधीन" अनजाने में शामिल शब्दों को विलोपित समझा जाये ।

बी० गंगर

[बी० गंगर]
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।